

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6099 /

जबलपुर, दिनांक 28/11/2022

श्री अमन परौची, कोर्ट अटेन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 27.10.2022 से लगातार अपने कर्तव्य पर बिना सूचना/आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोकें जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)


रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/6100 /

जबलपुर, दिनांक 28/11/2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री अमन परौची, कोर्ट अटेन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
28.11.22

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)